संख्या:121/2026/679/35-4002(003)/43/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल,2026

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत हुए कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में शासनादेश संख्या: 87/2026/572/35-4-2026/35-4002(003) /43/2026 दिनांक 31.03.2026 द्वारा 121 कार्यों की रू. 5881.88 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किशत के रूप में रू. 2823.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। जनपद कानपुर नगर के उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-86 से 88 एवं 90 से 94 पर इंगित निम्नलिखित कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को एतदद्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(लागत लाख रू. में)

	कार्य का नाम	स्वीकृत शासनादेश का क्रमांक	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	मैनावती मार्ग संजीवनी क्लीनिक से अरविन्द निशाद के मकान से होते हुए गंगा बैराज हाइवे तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	86	49.76	24.00
2	ग्राम पंचायत विरसिंहपुर कमल पाल के मकान से होते हुए बाला जी स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य।	87	75.55	36.00
3	ग्राम बारी अनिल सिंह के मकान से विनायक तिवारी के ब्लाक तक सड़क निर्माण कार्य।	88	63.03	30.00
4	ग्राम टिक्क्नपुरवा में पानी प्लांट से इन्द्रपाल के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	90	26.38	13.00
5	रोशनपुर बम्बा से पाली खुर्द तक सड़क निर्माण कार्य।	91	90.35	43.00
6	शम्भुआ में हमीरपुर रोड से प्राचीन करिंगा मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य।	92	52.46	25.00
7	जामू में लाखन सिंह के अडडे में लालूपुर रोड से श्याम सिह के अडडे तक सड़क निर्माण कार्य।	93	44.47	21.00
8	इटारा में मजरा देवी पुरवा से बंजारी देवी मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य।	94	89.93	43.00
		योग	**491.93**	**235.00**

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। निरस्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या:121/2026/679(1)/35-4002(003)/43/2026 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/ नगर विकास /पंचायती राज विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मंडल ।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर नगर।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।